

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्या:-393/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00298)

01. प्रताप पुत्र स्व. श्री गोपी (मृतक दौराने अपील)
1/1. श्रीमती मन्नी देवी धर्मपत्नी स्व. श्री प्रताप,
1/2. रमेशचन्द्र,
1/3. दुर्गालाल,
1/4. गिरधारीलाल पुत्रान स्व. श्री प्रताप,
02. जगदीश,
03. छोटीलाल
04. श्योराम पुत्रान स्व. श्री गोपी,
05. शंकरलाल,
06. धन्नलाल,
07. फैलीराम, पुत्रान स्व. श्री रामचन्द्र,
08. बाबूलाल,
09. नाथूलाल,
10. देवनारायण,
11. मूलचन्द्र,
12. रामकिशन पुत्रान स्व. भूरा,
13. नरसिंह लाल
14. बाबूलाल पुत्रान स्व. श्री गंगाबक्श,
15. मोहनलाल, पुत्रान स्व. श्री नारायण
16. रवि मीना पौत्र स्व. श्री गंगाबक्श, समस्त जाति मीना निवासी ग्राम खो-नागोरियान तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

01. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर रामकिशोर व्यास भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
02. प्राधिकृत अधिकारी जोन-10, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, रामकिशोर व्यास भवन जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
03. श्री नीलेश गाडिया पुत्र श्री घनश्याम गाडिया, निवासी बी-95 चित्रलेखा सोसायटी अजय टेनामेन्ट, पार्ट-5 वेस्टल रोड, अहमदाबाद।
04. श्रीमती प्रेमलता शर्मा धर्मपत्नी श्री सीताराम शर्मा, निवासी प्लॉट नम्बर 12, अरावली हिल्स, जगतपुरा, जयपुर।
05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 02.04.2019

(2)

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम खो-नागोरियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 1116 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1086 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1123/2818 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1116/2816 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 347/2752 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 1213/2829 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 1369 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1386 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1213/2820 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल कित्ता 9 कुल रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि खालसा भूमि थी, जिस पर अपीलार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी स्व. श्री गोपी, रामचन्द एवं भूरा पुत्रान स्व. श्री ठाकरसी तथा गंगाबक्श पुत्र गोविन्दा का जागीर के जमाने से भौतिक एवं वास्तविक कब्जा काशत था किन्तु उक्त भूमियों की खातेदारी अन्य लोगो के नाम अंकित कर दी गई जिन्होंने अपने नाम अंकित भूमि को वर्ष 1968 में तीन अलग-अलग लिखावटों के जरिये अपने नाम के खातेदारी अधिकारों का विधिवत बैचान उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों को कर दिया जिसके आधार पर तत्समय जयपुर शहर के 12 मील के क्षेत्रफल में विचाराधीन भू-प्रबन्धन के दौरान उपरोक्त वर्णित भूमियों का सेटलमेन्ट ऑफिसर द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण एवं कब्जे काशत का भौतिक सत्यापन कर पर्चा लगान व पर्चा नोटिस अपीलार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों के नाम अंकित कर दिया गया था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1977 में जयपुर शहर के 12 मील के परीधीय क्षेत्र में किये जा रहा भू-प्रबन्धन का कार्य रोक दिया जिसकी वजह से राजस्व जमाबन्दी में अपीलार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों का नाम अंकित नहीं हो सका सांगानेर तहसील की भूमियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने वर्ष 1983 से 2009 की अवधि के लिये पुनः सेटलमेन्ट की कार्यवाही वर्ष 1983 में प्रारम्भ की तथा भूमि का क्षेत्रफल बीघा-बिस्वा के स्थान पर हैक्टर प्रणाली में परिवर्तित करते हुये उपरोक्त वर्णित साबिका खसरा नम्बरों से वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 1351 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1353 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1354 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1356 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1357 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1358 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1359 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1363 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1365 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 1248 रकबा 0.41 हैक्टर खसरा नम्बर 1249 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 1400 रकबा 0.14 हैक्टर खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1404 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1445 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1452 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1903 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 1935 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 1937 रकबा 0.11 हैक्टर खसरा नम्बर 695/4622

(3)

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि भू प्रबन्धन अधिकारी ने अपीलार्थीगण आवेदन पर मौके पर मौजूद कब्जे काश्त एवं गिरदावरियों में अंकित काश्त व गिरदावरी स्लीप वर्ष 1970 में जारी किये गये पर्चा नोटिस व पर्चा लगान तथा वर्ष 1968 में की गई कब्जा रिपोर्ट आदि दस्तावेजातों के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों की खातेदारी पुनः भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 19.05.1989 को पारित विस्तृत आदेश एवं भू-प्रबन्धन के दौरान तैयार किये गये खसरा परिशोधन पत्र पर तत्कालीन खातेदार अब्दुल खॉन वगैरह के स्वयं उपस्थित होकर दिये गये बयान एवं स्वीकृति के आधार पर नवीन खसरा नम्बरों की खातेदारी पुनः अपीलार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों के नाम अंकित की जाकर पर्चा लगान एवं पर्चा नोटिस स्व. श्री गंगाबक्श पुत्र गोविन्दा एवं गोपी, रामचन्द व भूरा पुत्रान ठाकरसी के नाम जारी किये गये तथा भूमि की खातेदारी आधार वर्ष की जमाबन्दी में अपीलार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों का नाम बहैसीयत खातेदार अंकित कर दिया गया।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि आधार वर्ष की जमाबन्दी जारी होने एवं वर्ष 1992 में सैटलमेन्ट की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् तत्कालीन खातेदारों के देहान्त के पश्चात् जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष दो अलग-अलग अपीलें क्रमशः आदेश दिनांक 19.05.1989 एवं नामान्तरकरण संख्या 171 दिनांक 06.04.1992 के विरुद्ध प्रस्तुत की जिन्हे जिला कलक्टर जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.08.1998 के द्वारा निरस्त फरमा दिया गया तथा जिला कलक्टर जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.08.1998 के विरुद्ध उन्हे व्यक्तियों द्वारा पुनः न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दो अलग-अलग द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिन्हे न्यायालय श्रीमान् ने अपने निर्णय दिनांक 23.12.2002 द्वारा निरस्त फरमा दिया, उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई निगरानी याचिकाओं को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 18.05.2009 को याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर निरस्त फरमा दिया और इस प्रकार न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रसारित उक्त निर्णय दिनांक 23.12.2002 अंतिम हो गये।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष विचाराधीन अपीलों के विचारण के दौरान ही उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) जयपुर के समक्ष उपरोक्त वर्णित भूमियों के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाते हुए तीन अलग-अलग वाद संख्या 19/97 मुनीर खॉ व अन्य बनाम प्रताप व अन्य, वाद संख्या 41/97 उनवानी सुभान खॉ व अन्य बनाम प्रताप व अन्य तथा वाद संख्या 42/97 उनवानी नजीर खॉ व अन्य बनाम प्रताप व अन्य प्रस्तुत किये गये जिनमें फर्जकारी करते हुए अपीलार्थीगण को नोटिस की सम्यक रूप से तामील करवाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय से षडयंत्र कर दिनांक 12.10.99 को उपरोक्त वर्णित तीनों दावों में अवैध निर्णय एवं डिक्री प्राप्त करली और उक्त निर्णय एवं डिक्री के आधार पर तहसीलदार सांगानेर ने तीन नामान्तरकरण संख्या 252, 253, एवं 254 दिनांक 16.05.2000 को स्वीकृत कर दिये तिनके विरुद्ध अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण श्रीमान् के समक्ष तीन

(4)

प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को निर्देश दिये कि वे उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर के निर्णय एवं डिक्री के संदर्भ में पक्षकारों के मध्य अंतिम रूप से निर्णय होने के उपरान्त ही तदानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें, उल्लेखनीय है कि न्यायालय श्रीमान् के उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष तीन अलग-अलग द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जिन्हे भी बिना किसी शर्त व शरावत के विद्धो कर लिया गया और न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रसारित उक्त निर्णय भी अंतिम हो गये।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपील संख्या 32, 33, एवं 34/2000 एवं अपील संख्या 109/99 व 110/99 में पारित किये गये आदेशों के अन्तिम रूप से बहाल हो जाने की पूर्ण जानकारी होने तथा उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर द्वारा प्रसारित अवैध एवं एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध निगरानी याचिकाओं के राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन होने की पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी तथाकथित डिक्रीधारियों ने षडयंत्रपूर्वक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.07.2004 द्वारा भूमि विवादग्रस्त का नुमायशी बैचान रेस्पोजेन्ट संख्या 4 श्रीमती प्रेमलता शर्मा को कर दिया और श्रीमती प्रेमलता शर्मा ने उक्त भूमि का बैचान मौजूदा रेस्पोजेन्ट संख्या 3 श्री निलेश गाडीया को कर दिया जिन्होंने गोपनीय तरीके से न्यायालय द्वारा प्रसारित निर्णय दिनांक 23.12.2002 के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने नाम नामान्तरकरण अंकित करवा लिये, उक्त हस्तान्तरण एवं नामान्तरकरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के अधीन डोक्ट्रीन ऑफ लीस पेन्डेन्ट से प्रभावित एवं प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य हस्तान्तरण है, जिनकी भूमि अधिकारी तहसीलदार सांगानेर को भी पूर्ण जानकारी है किन्तु फिर भी तहसीलदार सांगानेर एवं प्राधिकृत अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जोन-10 से षडयंत्रपूर्वक अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवा लिया जो कतई अवैध एवं विधि विरुद्ध निर्णय होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.11.2015 को उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त में खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.1743 हैक्टर, खसरा नम्बर 1361 रकबा 0.2667 हैक्टर, खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.2400 हैक्टर, खसरा नम्बर 1363 रकबा 0.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1364 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 1365/1 रकबा 0.0136 हैक्टर कुल कित्ता 6 कुल रकबा 1.0246 हैक्टर भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के तहत गैर कृषि प्रयोजनार्थ (आवसीय प्रयोजन) रूपान्तरित करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित तथा प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों की जाँच किये बिना ही पारित किया गया निर्णय होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्त ने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने 90(क) के तहत आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया कि

(5)

बजाय "जोन के विधि सहायक एवं अमीन की संलग्न टिप्पणी के मुताबिक कोई रोक आदेशा/व्यादेश की जानकारी नहीं" अंकित किया है, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी ने तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण से कोई स्पष्टीकरण चाहे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि वास्तविकता यह है कि तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण को उक्त रिपोर्ट देने से पूर्व भूमि विवादग्रस्त के या आवेदित भूमि के समस्त राजस्व भू अभिलेखों का स्वयं परीक्षण एवं परिशीलन करना चाहिये था लेकिन अपीलाधीन आदेश पारित करने के लिए रेस्पोजेन्ट ने आपस में दुरभिसंधि कर अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु असत्य एवं अवैध टिप्पणी कर अपनी अनुसंशा दी जिसके आधार पर पारित किया गया निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोजेन्ट के हक पूर्वाधिकारियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर से दिनांक 12.10.99 को प्राप्त किये गये अवैध एवं एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री के आधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण को न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 23.12.2002 को निरस्त किया जा चुका है जिसकी अनुपालना में अपीलान्त का नाम राजस्व भू अभिलेखों में पुनः प्रतिस्थापित किये जाने के दायित्व तहसीलदार सांगानेर का था जिन्होंने जानबुझकर एवं षडयंत्रपूर्वक अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निवर्हन नहीं किया और उसका अनुचित लाभ उठाकर कर रेस्पोजेन्ट संख्या 4 ने उक्त भूमि को दिनांक 06.07.2004 को क्रय कर लिये और कालान्तर में उसे रेस्पोजेन्ट संख्या 3 को विक्रय कर दिया, तहसीलदार सांगानेर न्यायालय श्रीमान् के निर्णय एवं निर्देशों की जानबुझकर घोर भवहेलना कर क्रेता संख्या 3 व 4 के नाम नामान्तरकरण खोल दिया जिसका अनुचित लाभ उठाकर अपीलाधीन निर्णय समस्त न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय प्राप्त कर लिये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर प्राधिकृत जोन-10, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित अवैध एवं विधि विरुद्ध निर्णय दिनांक 01.01.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड का परीक्षण करने के उपरान्त एवं समस्त विधिक प्रक्रिया आपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम खो नागारियान तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 1116, 1086, 1123/2818, 1116/2816, 347/2752, 1213/2829, 1369, 1386 व 1213/2820 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा जिनके हाल बन्दोबस्त में नवीन खसरा नम्बर 1351, 1353, लगायत 1365 1222 1248 1249 1400 1401 1404 1444 1445 1452 1903 1925 1937

(6)

19/1997, 41/1997 तथा 42/1997 प्रस्तुत किये जिसमें मौजूदा अपीलार्थीगण व उनके हक पूर्वाधिकारियों को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया, उक्त दावे में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर ने प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जिनकी विधिवत तामील होने के पश्चात भी जब वे बावजूद सूचना के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये तब उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुये उक्त दावा डिक्री कर भूमि विवादग्रस्त का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया गया और प्रतिवादीगण का भूमि विवादग्रस्त पर किसी भी प्रकार का वास्तविक कब्जा ना होना मानते हुये न्यायालय ने उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि दिनांक 12.10.1999 को पारित उपरोक्त वर्णित निर्णय को एकतरफा निर्णय होना मानते हुये निरस्त किये जाने हेतु अपीलार्थीगण ने आवेदन अन्तर्गत आदेश-9 नियम-13 जा.दी0 प्रस्तुत किये जिन्हें अपीलार्थीगण ने पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर ने दिनांक 08.06.2004 को अपने निर्णय द्वारा निरस्त फरमा दिया, उन्होंने आगे कथन किया है कि जब नियमित न्यायालय उत्तरदाता अप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये दावे अपीलार्थीगण के पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात् वादीगण का दावा डिक्री कर प्रतिवादीगण (मौजूदा अपीलार्थीगण) को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया कि वे भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण के वास्तविक कब्जे काश्त में किराी भी प्रकार का कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें और उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को भी दिनांक 08.06.2004 को अंतिम रूप से निरस्त किया जा चुका है, अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर देने मात्र के आधार पर भूमि विवादग्रस्त पर अपीलार्थीगण के किसी भी प्रकार के कोई अधिकार कब्जा व दखल होना नहीं माना जा सकता है और अपीलार्थीगण को प्राधिकृत अधिकारी जोन-10ए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.01.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।


अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि उपरोक्त वर्णित दावों में वादीगण जिन्हें भूमि विवादग्रस्त का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया है, भूमि विवादग्रस्त पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमती प्रेमलता शर्मा धर्मपत्नी श्री सीताराम शर्मा को विक्रय कर कब्जा संभला दिया और श्रीमती प्रेमलता शर्मा ने दिनांक 20.10.2015 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उक्त भूमि उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 3 नीलेश गढिया पुत्र श्री घनश्याम गढिया को विक्रय कर कब्जा संभला दिया है। उन्होंने आगे कथन किया है कि उत्तरदाता रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 नीलेश गढिया ने नियमानुसार उक्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 क के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ

(7)

उन्होंने उत्तरदाता रेस्पोंडेंट को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य मात्र से यह अपील पेश की गई है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीगण निरस्त फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें हैं जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्त के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रुख अपनाते हुये अपीलान्त का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध अपीलार्थीगण के मध्य विभिन्न न्यायालयों में अपील/वाद विचाराधीन रहे हैं ऐसी स्थिति में अपीलान्त का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 के अवलोकन से जाहिर है कि भूमि विवादग्रस्त रेस्पोंडेंट संख्या 3 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक भूअ./15/6218 दिनांक 09.12.2015 में तहसीलदार ने उक्त भूमि विवादग्रस्त को रेस्पोंडेंट संख्या 3 के नाम दर्ज रिकार्ड माना है साथ ही उक्त भूमि मुताबिक जमाबन्दी अनुसार अब्दुल रहमान प्रकरण, मंदिर माफी प्रकरण में नहीं है, आराजीयात पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश भी नहीं है तथा मौके पर उक्त भूमि नदी नाले पर भी नहीं है तथा अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी सम्बन्ध में ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त विवादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड साबित होती है, ऐसी स्थिति में जब वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण के नाम ही दर्ज रिकार्ड ही नहीं है तो फिर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2016 के सम्बन्ध में अपीलान्त के एतराज मान्य नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मददेनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2016 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-10ए जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2016 को यथावत रखा जाता है।


(के०सी०वर्मा)
संयोजक अधिकृत,